

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 185/वि०स०/संसदीय/०९(सं)/२०२२

लखनऊ, दिनांक ०९ फरवरी, २०२५

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश, दिनांक ०८ फरवरी, २०२५ सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

“‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद-१७४ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एतद्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा को मंगलवार, दिनांक १८ फरवरी, २०२५ को ११:०० बजे पूर्वाह्न से विधान सभा मण्डप, विधान भवन, लखनऊ में उसके वर्ष २०२५ के प्रथम सत्र के लिए आहूत करती हूँ।

आनंदीबेन पटेल,

राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।”

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 185(१)/वि०स०/संसदीय/०९(सं)/२०२२, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- १-माननीय सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
- २-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- ३-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- ४-मा० मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मा० मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
- ५-मा० अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा० अध्यक्ष की सूचनार्थ,
- ६-मा० नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा० नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,
- ७-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग,

- 8-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,
 9-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
 10-समस्त मा० मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
 11-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
 12-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
 13-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा,
 14-लोक सभा सचिवालय, कान्फ्रेन्स ब्रान्च, नई दिल्ली,
 15-सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 86, संसद भवन, नई दिल्ली,
 16-सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली,
 17-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
 18-प्रमुख सचिव/सचिव, अन्य राज्य विधान परिषद्/विधान सभा,
 19-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
 20-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
 21-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
 22-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,
 23-पुलिस आयुक्त, लखनऊ,
 24-पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
 25-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,
 26-निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
 27-निदेशक, दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
 28-संयुक्त निदेशक, ऐश्वाग तथा शाखा मुद्रणालय, लखनऊ,
 29-प्रमुख सचिव, विधान सभा के निजी सचिव को प्रमुख सचिव की सूचनार्थ,
 30-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,
 31-विधान पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश को विधान सभा की वेबसाइट पर अपलोड कराए जाने हेतु।

अर्चना श्याम,
 उप सचिव।